राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–प.5 (219)/निपेवि/नियम/2010/पार्ट।/ 1691-1990-H दिनांकः 06-12-2017

विकास अधिकारी,
समस्त

विषयः–सेवानिवृत/मृत कार्मिकों के नियोजक द्वारा जमा कराये गये अंशदान की राशि राज्य सरकार के सामान्य राजस्व खाते में हस्तान्तरित करने के संबंध में।

प्रसंगः–इस विभाग का पत्रांक प.5(219)/निपेवि/नियम/2010/पार्ट। /1156–1455 एच दिनांक 16.10.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संयुक्त शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 03.08.2017 के क्रम में वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग से प्राप्त नवीनतम मार्गदर्शन की प्रति संलग्न कर लेख है कि इस विभाग के पत्रांक 1156–1455 एच दिनांक 16.10.2017 की निरन्तरता में समायोजित ग्राम सेवकों के पेंशन प्रकरण भविष्य में वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग के संलग्न पत्र क्रमांक प.10 (21) वित्त /राजस्व / 2015 दिनांक 17.11.2017 के अनुसार प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,
(परमेश्वरी चौधरी)
निदेशक

क्रमांकः–प.5 (219)/निपेवि/नियम/2010/पार्ट।/1691-1990-H दिनांकः 06-12-2017

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, जयपुर को उनके पत्रांक प.10 (21) वित्त/राजस्व/2015 दिनांक 17.11.2017 के संदर्भ में प्रेषित कर निवेदन है कि आप द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार पेंशन प्रकरण भिजवाने हेतु समस्त विकास अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, यदि इस संबंध में कोई कठिनाई अवगत कराई जाती है तो मार्गदर्शन हेतु आपको भिजवा दी जायेगी।
2. अतिरिक्त निदेशक पेंशन विभाग, अजमेर बीकानेर, भरतपुर , जोधपुर कोटा, उदयपुर
3. निजी सचिव/अतिरिक्त निदेशक पेंशन जयपुर।
4. सहायक निदेशक समस्त पीआर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
5. विशेषाधिकारी पेंशन जयपुर कार्यालय हाजा।
6. उपविधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

निदेशक

C:\Users\india\Desktop\JAIRAJ\Rules Letter.docx346

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

क्रमांक प.10(21)वित्त/राजस्व/2015 जयपुर, दिनांक 17 NOV 2017

निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः—सेवानिवृत/मृतकार्मिकों के सीपीएफ अंशदान की राशि कार्मिक के जीपीएफ खाते में ब्याज सहित जमा करने के संबंध में मार्गदर्शन बाबत्।

सन्दर्भः—आपका पत्र क्रमांक प.5(219)निपेवि/नियम/2010 पार्ट—I/1478—एच दिनांक 30.10.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में सेवानिवृत/मृत हो चुके कार्मिको के सीपीएफ अंशदान की राशि उनके जीपीएफ खातों में किस तरह जमा की जावे तथा उक्त राशि को कितनी अवधि के लिये जमा की जावे के संबंध में निर्देशानुसार लेख है कि ऐसे कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के समय यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि नियोजक द्वारा जमा कराया गया अंशदान मय ब्याज के राज्य सरकार के सामान्य राजस्व में हस्तानान्तरित हो गया है या नहीं?

इसमें क्या कठिनाई है, की जानकारी भिजवाये। यदि इसमें कोई संशय है तो वित्त (नियम) विभाग से परीक्षण कराने हेतु उदाहरण सहित मार्गदर्शन हेतु स्पष्ट बिन्दुओं का स्वपूरित विवरण भिजवाने का श्रम करे।

भवदीय,

(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव